भू-राजस्व व्यवस्था

अकबर की उपलब्धियों में उसके भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों का विशेष महत्व है। यद्यपि उसके भूमि सम्बन्धी सुधार मौलिक न थे क्योंकि उन्हें सर्वप्रथम शेरशाह सूर ने स्थापित किया था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराई तथा उपज का तिहाई भाग भू-राजस्व निश्चित किया किन्तु उसकी मृत्योपरान्त साम्राज्य में अराजकता व्याप्त हो गई तथा उसके भू-राजस्व सम्बन्धी सुधार विनष्ट हो गये। अतः जब अकबर सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने शेरशाह के भू-राजस्व सम्बन्धी सुधारों को पुनर्जीवित कर उन्हें विकसित रूप में कार्यान्वित करने का निश्चय किया। 1560 ई० में अब्दुल मजीद आसफ़ खाँ को दीवान (वित्त मंत्री) के पद पर नियुक्त किया। उसने अमीरों को प्रसन्न रखने के लिये उनकी जागीरों के काल्पनिक आँकड़े लिखवा डाले जिससे भविष्य में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुयीं। आसफ़ खाँ ने भू-राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में कोई नवीन व्यवस्था नहीं लागू की जिसके कारण साम्राज्य की भू-राजस्व व्यवस्था बहुत त्रुटिपूर्ण हो गई। अतः बादशाह अकबर ने 1563 ई० में एतमाद खाँ को खालसा भूमि की व्यवस्था के लिये नियुक्त किया जो शेरशाह तथा इस्लामशाह सूर की सेवा में रह चुका था। उसने सर्वप्रथम शाही भूमि (खालसा) को जागीर भूमि से पृथक किया। किन्तु राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया तथा शेरशाह के समय से चली आ रही राजस्व अनुसूचियों को जारी रखा। राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों के मूल्यों को आधार स्वीकार कर सम्पूर्ण साम्राज्य के भू-राजस्व को नक़दी में परिवर्तित किया गया। इसके अतिरिक्त एतमाद खाँ ने वित्त विभाग को संगठित करने का प्रयास किया तथा मुद्राओं को उनके वास्तविक मूल्यों में प्रसारित किया।

1564 ई० में अकबर ने मुज़फ्फर खाँ तुरबती को दीवान (वित्त मंत्री) के पद पर नियुक्त किया तथा टोडरमल को उसके सहायक के रूप में नियुक्त किया। मुज़फ्फर खाँ ने काल्पनिक आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक उपज के आँकड़ें एकत्रित कराने का निश्चय किया। इस कार्य के लिये उसने दस क़ानूनगो नियुक्त किये तथा वास्तविक आंकड़े के आधार पर लगान (भू-राजस्व) का 'जमा हाल हासिल' नामक एक नवीन लेखा खुलवाया। किन्तु यह लेखा भी अधिक विश्वसनीय न था क्योंकि यह लोगों की सूचनाओं पर आधारित था तथा इसमें क़ानूनगो लोगों ने अनुमान से काम लिया था।

Scanned with CamScanner

1568 ई० में शिहाबुद्दीन अहमद खाँ को खालसा भूमि का दीवान नियुक्त किया गया। उसने प्रतिवर्ष भू-राजस्व निर्धारण (जब्ती हरसाला) को व्यय साध्य प्रणाली के स्थान पर नस्क प्रणाली चालू की जिसके द्वारा शासन तथा भूमिपति के मध्य पारस्परिक बंदोबस्त की व्यवस्था की गई। डॉ० आर० पी० त्रिपाठी के अनुसार यह एक प्रकार की ठेकेदारी थी। यह प्रणाली भी सन्तोषप्रद न थी। 1570 ई० में जब मुजफ्फर खाँ तुरबती दूसरी बार दीवान (वित्त मंत्री) नियुक्त किया गया तो उसने भू-राजस्व संबंधी सम्पूर्ण व्यवस्था को पुनर्गठित करने का निश्चय किया। इस कार्य में उसे राजा टोडरमल से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। अब मुजफ्फर खाँ तुरबती ने भूमि के मापन तथा उसकी उपज के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित करने का निर्णय लिया।

गुजरात विजय (1573 ई०) के पश्चात् अकबर ने भूमि व्यवस्था में स्वयं रुचि लेना आरम्भ किया। अब जागीर भूमि को कम कर खालसा भूमि के विस्तार का निश्चय किया गया जिसके फलस्वरूप साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। भू-राजस्व के निर्धारण के लिये भूमि का मापन आवश्यक था। भूमि के मापन के लिये अकबर ने सिकन्दर लोदी के समय के गज को अपनाया तथा 3600 वर्ग गज का एक बीघा निश्चित किया गया। परन्तु अब तक में जूट की रस्सी के स्थान पर लोहे की कड़ियों से जुड़े बाँस की कमचियों का प्रयोग किया गया जिसका नाम 'जरीब' रखा गया जो रस्सी की भाँति घट एवं बढ़ नहीं सकता था।[1] इसके द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों, राजपूत राज्यों, बिहार, बंगाल एवं मुल्तान को छोड़कर अन्य सभी भागों में भूमि-मापन कराया गया। साम्राज्य की खालसा भूमि पर 182 करोड़ी नियुक्त किये गये। प्रत्येक 'करोड़ी' के अन्तर्गत इतना क्षेत्र होता था जिससे एक करोड़ टंके अर्थात् दो लाख पचास हजार रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त हो सके। उसका कार्य अपने क्षेत्र की सीमायें निर्धारित करना, भू-राजस्व के विभिन्न साधनों का लेखा तैयार करना तथा प्रत्येक साधन से प्राप्त धनराशि और प्रत्येक फ़सल का ब्यौरा रखना था। उसकी सहायता के लिये कारकुन तथा फ़ोतदार नियुक्त थे। 1580 ई० तक राजस्व विभाग के पास पर्याप्त आँकड़े तथा सूचनायें एकत्रित हो गयीं। यद्यपि इस समय दीवान के पद पर राजा टोडरमल नियुक्त था किन्तु राजस्व सम्बन्धी सभी सुधार उसके सहयोगी ख्वाजा शाह मंसूर द्वारा कार्यान्वित किये गये। इसी वर्ष साम्राज्य को बारह प्रान्तों (सूबों) में विभाजित किया गया।[2]

अकबर के राज्यकाल में अनुभव के आधार पर भू-राजस्व व्यवस्था में सुधार किये जाते रहे। 1582 ई० में भू-राजस्व के लिए खालसा भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग के लिए राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई। अकबर के राज्यकाल में 1588 ई० में भूमि के मापन के लिए 'गज-ए-सिकंदरी' के स्थान पर 'गज-ए-इलाही' का प्रयोग आरम्भ किया गया। इन दोनों में 39 : 41 का अन्तर था। यद्यपि एक बीघा 3600 वर्ग गज का ही स्वीकार किया गया तथा बीघा का बीसवाँ भाग बिसवा कहलाता था। यद्यपि शाहजहाँ के राज्यकाल में भूमि के मापन-इकाई को पुनः परिवर्तित करने का प्रयास किया गया परन्तु वह अस्थाई सिद्ध हुआ तथा मुग़ल काल के अंत तक साधारणतया 'बीघा-ए-इलाही' प्रचलित रहा। इसके अतिरिक्त 1593 ई० में सूबे के राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक सूबे में एक 'दीवान' की नियुक्ति की गई जो सूबेदार से स्वतंत्र था तथा उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वज़ीर अथवा केन्द्रीय दीवान से होता था।

1. 'गज'-ए-इलाही' का प्रचलन 1588 ई० में हुआ।
2. बारह प्रान्त-मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बिहार, बंगाल, मालवा, अजमेर, गुजरात तथा काबुल।

भू-राजस्व निर्धारण के लिये भूमि को फ़सल के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया—पोलज, परती, चाचर एवं बंजर। 'पोलज' वह भूमि थी जिसमें प्रतिवर्ष दो फ़सलें होती थीं। 'परती' भूमि वह थी जिसे एक फ़सल के पश्चात् पड़ी रखी जाती थी जिससे कि उसमें उपजाऊ शक्ति आ सके। 'चाचर' भूमि तीन-चार वर्षों तक जोती-बोई नहीं जाती थी। 'बंजर' वह भूमि जिसे पाँच अथवा अधिक वर्षों तक परती रखी गयी। प्रथम दो प्रकार की भूमि अर्थात् पोलज एवं परती भूमि को उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट तीन श्रेणियों में बाँटा गया। इन तीनों श्रेणियों से औसत उपज के आधार पर भू-राजस्व निर्धारित किया गया। उदाहरणार्थ, यदि प्रथम श्रेणी की पोलज भूमि से 30 मन प्रति बीघा, द्वितीय श्रेणी की पोलज भूमि से 25 मन प्रति बीघा तथा निकृष्ट श्रेणी से 20 मन प्रति बीघा की फ़सल होती है तो पोलज भूमि से औसत फ़सल 25 मन प्रति बीघा हुयी। इसी प्रकार परती भूमि की उपज का भी अनुमान लगाया जाता था। इस औसत फ़सल का एक तिहाई भाग भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। चाचर भूमि से पहले वर्ष राज्य के भाग का 2/5, दूसरे वर्ष 3/5, तीसरे तथा चौथे वर्ष 4/5 एवं पाँचवें वर्ष पूर्ण भू-राजस्व लिया जाता था। बंजर भूमि से भी पहले कम और फिर क्रमशः अधिक भू-राजस्व वसूल किया जाता था। यह इस कारण किया गया जिससे कृषक भूमि को उपजाऊ बनाने में प्रयत्नशील रहें।

उपज के एक तिहाई भाग को नक़द रूप में परिवर्तित करने के लिये प्रतिवर्ष विभिन्न अनाज के बाजार-भाव को एकत्रित किया जाता था। किन्तु यह व्यवस्था असुविधाजनक होने के साथ ही साथ इससे वसूली में भी विलम्ब होता था। अतः इसके निवारण के उद्देश्य से 1580 ई० में अकबर ने 'आइने दहसाला' (दस वर्षीय नियम) की व्यवस्था की। अबुल फ़ज़ल के अनुसार अकबर के राज्यकाल के 15वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष (1571 ई० से 1580 ई०) तक के आँकड़े एकत्रित किए गये जिससे भू-राजस्व की जानकारी प्राप्त हुई। इन दस वर्षों के भू-राजस्व एवं मूल्यों को जोड़कर उसे दस से विभाजित कर प्रतिवर्ष का औसत निकाला गया जिसे वार्षिक नक़द भू-राजस्व के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में 1580 ई० तक 'दस्तूरुल अमल' (नियम-पुस्तिका) तैयार हो गए जिसमें प्रत्येक बीघा का नक़दी दर दिया हुआ था। प्रो० इरफान हबीब के अनुसार ये दरें अकबर के चौबीसवें वर्ष की नहीं अपितु चालीसवें वर्ष की थीं।[1] इस बन्दोबस्त में प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाता था तथा दस वर्षों की औसत उपज निकालने के लिए पहले वर्ष की उपज को घटाकर उसके स्थान पर ग्यारहवें वर्ष की उपज उसमें जोड़ दी जाती थी।[2] इस दस वर्षीय प्रणाली के अनेक लाभ थे। अब भू-राजस्व का नक़द रूप नियत करना सरल हो गया जिससे वसूली में विलम्ब होने की सम्भावना जाती रही। कृषकों को पहले से ही यह ज्ञात रहता था कि उन्हें कितना भू-राजस्व देना है। साथ ही राज्य को भी भू-राजस्व द्वारा प्राप्त होने वाली आय का पहले से अनुमान हो जाता था। इस प्रणाली को लागू करने के पश्चात् राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ईमानदारी के साथ भू-राजस्व वसूल करें तथा भ्रष्ट अधिकारी दण्ड के भागी होंगे। उन्हें नियमित रूप से भू-राजस्व का विवरण भेजने का निर्देश दिया गया।

अकबर के शासनकाल में भू-राजस्व के आंकलन के लिए मुख्यतः प्रणालियाँ प्रचलित थीं—जब्ती, बटाई एवं कनकूत। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भूमि का सर्वेक्षण तथा तीनों श्रेणी की भूमि से प्रमुख फ़सलों की प्रति बीघा औसत उपज की दर (रई) को आधार मानकर भू-राजस्व

1. इरफान हबीब, दि ऐग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इण्डिया, पृ० 354.
2. आई० ए० कुरैशी, दि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दि मुग़ल इम्पायर, पृ० 169.

मानें जिस पर 'सद्र' के प्रतिहस्ताक्षर न हों। इस कारण लोगों को दान-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर कराने के लिये राजधानी जाना पड़ा जहाँ उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। अतः 'सद्र' के विभाग के विरुद्ध इतनी शिकायतें आयीं कि अकबर ने शेख फ़रीद बुखारी को इसकी जाँच के लिये नियुक्त किया। उसकी जाँच से ज्ञात हुआ कि भूमि-वितरण अनियमित हुआ था जिससे अनेक योग्य व्यक्तियों को कोई सहायता नहीं मिल पाई थी। इसके अतिरिक्त शाही, जागीर एवं सयूरग़ाल भूमियों के एक दूसरे के साथ मिले-जुले होने के कारण विवाद उठ खड़े होते थे। इन दोषों के निराकरण के उद्देश्य से अकबर ने शेख अब्दुन्नबी को अपदस्थ कर सुल्तान ख्वाजा को 'सद्र' के पद पर नियुक्त किया तथा आदेश दिया कि सयूरग़ाल के लिये प्रत्येक परगने में निर्दिष्ट भूमि रहे और किसी भी दानपात्र के अधीन एक से अधिक भूमि न रहे। पाँच सौ बीघे से अधिक सयूरगाल-धारकों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। अकबर ने उनकी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार पुनर्विचार कर सयूरग़ाल (भू-दान) की मात्रा का निर्णय किया। 1580 ई० में बादशाह द्वारा सूबों के गठन के पश्चात् प्रत्येक सूबों में एक 'सद्र' की नियुक्ति की जो सयूरग़ाल की व्यवस्था देखता था।

मनसबदारी व्यवस्था

'मनसब' शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा 'मनसबदार' का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। यदि दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि तुर्कों के काल से ही भारतीय सेना में दशमलव प्रणाली का आरम्भ हो चुका था। जिस अधिकारी के अन्तर्गत दस सवार होते थे वह 'सरखेल' कहलाता, एक हज़ार घुड़सवारों का नेता 'अमीर' तथा दस हज़ार घुड़सवारों का नेता 'मलिक' कहलाता था। सिकन्दर लोदी तथा इब्राहीम लोदी के शासनकाल में मलिकों के अन्तर्गत सैनिकों की संख्या बारह हज़ार तक पहुँच गई। बाबर तथा हुमायूँ के शासनकाल में अमीर, मनसबदार तथा अमीरुल-उमरा आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है किन्तु इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेरशाह के काल में शुजाअत खाँ का वर्णन मिलता है जो दस हज़ार सवारों का अमीर था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्थापना में लेकर शेरशाह के काल तक का अध्ययन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मनसबदारों के अन्तर्गत दस से लेकर बारह हजार तक सैनिक होते थे जिसमें घुड़सवार एवं पैदल दोनों ही सम्मिलित थे। मनसबदार अपने सैनिकों की भर्ती स्वयं करता था तथा उनके वेतन का भुगतान भी उसी के द्वारा किया जाता था। मनसबदार न तो अच्छे घोड़े रखते थे और न अच्छे सवार। इतना ही नहीं वे सैनिक निरीक्षण के समय घोड़ों को बदल दिया करते तथा एक घोड़े को दो बार प्रस्तुत कर

Scanned with CamScanner

उनके निर्धारित मनसब की संख्या के आधे से कम होती थी। इसी समय से व्यक्तिगत पद के सूचक के रूप में 'ज़ात' शब्द का भी प्रयोग किया जाने लगा। अकबर के शासनकाल के इकतालिसवें वर्ष (1596-97 ई०) से दुगुना पद अथवा दोहरा पद प्रदान किया जाने लगा और इसके लिए 'ज़ात' एवं 'सवार' विशेषणों का प्रयोग किया गया। मिर्ज़ा शाहरुख पहला प्रमुख मनसबदार था जिसे 5,000 ज़ात एवं 2,000 सवार का पद प्रदान किया गया।

'ज़ात' एवं 'सवार' पद के अर्थ के सम्बन्ध में इतिहासकारों में विभिन्न मत रहे हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार 'ज़ात' का अर्थ है सैनिकों की वह संख्या जिसको रखने की मनसबदार से आशा की जाती थी तथा 'सवार' का अर्थ उन सैनिकों की संख्या से था जो वास्तविक रूप से मनसबदार को रखनी पड़ती थी। मनसबदार अपनी ज़ात संख्या के अनुसार ही वेतन पाते थे। परन्तु दो कारणों से यह मत अमान्य है। प्रथम यह कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो जिस उद्देश्य से सवार-पद का प्रतिपादन हुआ था वही निरस्त हो जाता है। दूसरे यह कि कुछ ऐसे भी मनसबदार थे जिनका पद केवल ज़ात ही था। यदि ब्लॉकमैन का मत स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ होगा कि केवल ज़ात पद वाले मनसबदार को ज़ात व सवार दोनों पद पाने वाले मनसबदार की अपेक्षा अधिक संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे। यह बात तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती है। विलियम इर्विन का कथन है कि "सवार पद एक अतिरिक्त सम्मान था तथा उसके प्राप्त-कर्ता को ज़ात पद से सूचित संख्या के अलावा इतने सैनिक अतिरिक्त रूप से रखने पड़ते थे। यह कथन भी कई कारणों से तर्करहित प्रतीत होता है। प्रथम यह कि यदि इस कथन को मान लें तो मुग़ल सैनिकों की कुल संख्या एक अविश्वसनीय अंक तक पहुँच जायेगी। दूसरे यदि अतिरिक्त सम्मान प्राप्तकर्ता मनसबदार से अतिरिक्त सैनिकों के पोषण की आशा की जाती तो यह सम्मान लाभ की अपेक्षा भार अधिक होता। तीसरे यह कि कुछ ऐसे भी मनसबदार थे जिनके ज़ात व सवार की संख्याओं का योगफल एक मुग़ल शहजादे के मनसब से भी बढ़ जाता है। अत: यह मत भी अविश्वसनीय प्रतीत होता है। इतिहासकार अब्दुल अज़ीज़ के अनुसार "ज़ात के अंतर्गत मनसबदार को एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े, भारवाहक पशु तथा वाहन रखने पड़ते थे जबकि सवार संख्या घुड़सवारों की वास्तविक संख्या प्रकट करता था।"

डॉ० आर० पी० त्रिपाठी का कथन है कि "ज़ात का अर्थ घुड़सवारों की वास्तविक संख्या से था तथा सवार पद एक अतिरिक्त सम्मान था जिसके अनुसार उसे अतिरिक्त भत्ता मिलता था।" मनसबदारों का स्तर उनकी ज़ात संख्या पर आधारित था। इसका तात्पर्य यह है कि 5,000 ज़ात व 3,000 सवार का पद पाने वाले मनसबदार का स्थान पदानुक्रम में 4,000 ज़ात व 4,000 सवार पाने वाले मनसबदार से ऊपर था। मनसबदार का पद बिना सवार पद के हो सकता था परन्तु बिना ज़ात पद के नहीं।

अबुल फ़ज़ल मनसबों की संख्या 66 बताता है किन्तु व्यवहार में 'आइने अकबरी' में केवल 33 मनसबों (पदों) का ही उल्लेख है। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ पद प्रदान नहीं किए गये तथा इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए कुछ पदों को समाप्त कर दिया गया था जिसके कारण व्यवहार में पदों की संख्या कम हो गई। यह मनसब दस से लेकर बारह हजार तक प्रदान किये गये थे। यद्यपि पाँच हजार से ऊपर के मनसब अधिकतर शहजादों को ही प्रदान किये जाते थे। अकबर ने शहजादा सलीम को बारह हजार का मनसब प्रदान किया था। पाँच सौ से दो हजार पाँच सौ तक के मनसबदार 'अमीर' कहलाते थे तथा इससे ऊपर के मनसबदारों को 'अमीर-आज़म', 'ख़ानेख़ाना', 'ख़ाने-आज़म' आदि उपाधियों से सम्मानित किया जाता था। अधीनस्थ राजा भी मनसबदारी व्यवस्था के अन्तर्गत थे क्योंकि अकबर ने इन्हें भी मनसब प्रदान किये थे।

जब किसी मनसबदार को उनसके पद के कार्यभार के अतिरिक्त कार्य-भार का उत्तरदायित्व सौंपा जाता था तो उसके मनसब एवं वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती थी। इस बढ़े हुए मनसब को 'मशरूत' मनसब कहा जाता था तथा इसके अनुरूप मनसबदार के वेतन में भी वृद्धि की जाती थी। परन्तु अतिरिक्त उत्तरदायित्व की समाप्ति पर उसके मनसब एवं तदनुसार वेतन में भी कटौती कर दी जाती थी। मनसबदारों के वेतन का भुगतान नकद अथवा उसके अनुरूप जागीर प्रदान कर किया जाता था। कोई मनसब अथवा जागीर वंशानुगत नहीं होती थी।

अबुल फ़ज़ल अपनी प्रसिद्ध रचना 'आइने अकबरी' में मनसबदारों के वेतन की निम्न सूची प्रस्तुत करता है :

मासिक वेतन रुपयों में

मनसब	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
10,000	60,000	—	—
5,000	32,000	29,000	28,000
1,000	8,200	8,100	8,000
500	2,500	2,300	2,100
100	700	600	500
10	100	82.5	75

मनसबदारों को यह वेतन बारह महीने दिये जाते थे। यदि कभी उन्हें कम वेतन दिया जाता तो इसका कारण प्रशासन द्वारा उन्हें प्रदान किये गये सामान अथवा अग्रिम धनराशि की वेतन से कटौती थी। अबुल फ़ज़ल लिखता है कि मनसबदारों को यह अनुमति थी कि वे सैनिकों पर होने वाले व्यय के लिये उनके वेतन का पाँच प्रतिशत स्वयं रख लें। मनसबदारों के अधीन जो सवार होते थे उनमें से कुछ अस्पाह (एक घोड़े वाले), कुछ दो अस्पाह (दो घोड़े वाले) तथा कुछ सेह अस्पह (तीन घोड़े वाले) होते थे। सामान्य नियम ('दह बिस्ती' अथवा दस बीसी) के अनुसार 10 सवारों के लिए 20 घोड़े होते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत 3 सवार सेह अस्पाह (3 सवार × 3 घोड़े), 4 सवार दो अस्पाह (4 सवार × 2 घोड़े) और 3 सवार अस्पह (3 सवार × 1 घोड़ा) होते थे। इस प्रणाली का उद्देश्य मुग़ल घुड़सवार सेना की गतिशीलता को सुनिश्चित करना था। किसी सवार के घोड़े के घायल हो जाने अथवा मर जाने अथवा थक जाने की दशा में उसके पास दूसरा घोड़ा उपलब्ध रहता था। अस्पह सवार को 15 रुपये, दो अस्पह सवार को 20 रुपये तथा सेह अस्पह सवार को 25 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता था।

अकबर को मनसबदारी व्यवस्था से अनेक लाभ हुये। सर्वप्रथम, इससे सेना की योग्यता में वृद्धि हुई। मनसबदार प्राय: अपनी जाति अथवा क़बीले के व्यक्तियों को ही नियुक्त करते थे जिससे वे अपने मनसबदार के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते तथा कुशलतापूर्वक कार्य करते थे। दूसरे, मनसबदारों को उनकी योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाती थी। यदि कोई मनसबदार ग़लत कार्य करता था तो उसके मनसब में कटौती की जाती थी अथवा उसे मनसब से वंचित भी किया जा सकता था। अत: मनसबदार अपने मनसब में वृद्धि प्राप्त करने के लिये बादशाह को अपनी सेवाओं द्वारा प्रसन्न करने के प्रयास में लगे रहते थे। परन्तु मनसबदारी व्यवस्था में कुछ दोष भी विद्यमान थे। प्रथम तो यह कि सवारों की नियुक्ति मनसबदारों द्वारा की जाती थी जिससे उनकी निष्ठा बादशाह के प्रति न होकर मनसबदारों के प्रति होती थी और मनसबदार के विद्रोह करने पर वे उसी का पक्ष ग्रहण करते थे। दूसरे, मनसबदारों के सैनिकों की कार्य-क्षमता एवं कुशलता अलग-अलग होती थी जिससे उनके सैनिकों में ताल-मेल स्थापित नहीं हो पाता था। मनसबदारों को जब किसी अभियान में भेजा जाता था तो उनमें पारस्परिक सहमति होना अत्यन्त कठिन हो जाता था।

Scanned with CamScanner

अहदी एवं दाखिली सैनिक

मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो 'अहदी' तथा 'दाखिली' कहलाते थे। 'अहदी' सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किये जाते थे तथा वे उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई सम्बन्ध न होता था किन्तु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। 'अहदी' प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे। इनके लिये पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। इन्हें वेतन भी अधिक मिलता था। 'अहदी' सैनिक का वेतन 500 रुपये प्रतिमास तक पहुँच जाता था। आरम्भ में एक अहदी के पास आठ-आठ सवार होते थे किन्तु बाद में उसे पाँच सवार तक रखने की आज्ञा दी गई। प्रति चार मास पश्चात अहदियों का निरीक्षण किया जाता था। 'दाखिली' वे सैनिक थे जिनकी नियुक्ति राज्य द्वारा होती थी तथा वेतन भी राज्य द्वारा दिया जाता था परन्तु वे मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे।

सैनिक विभाजन

अकबर की सेना मुख्य रूप से चार भागों अथवा डिवीज़नों में विभाजित थी। प्रथम, पैदल सेना थी जिसके अन्तर्गत, बन्दूकची, शमशेरबाज़ (तलवार चलाने वाले), दरबान, पहलवान, कहार आदि सम्मिलित थे। बादशाह स्वंय प्रधान सेनापति था तथा उसके अधीन अनेक सेनापति होते थे। दूसरे, तोपखाना था जो 'मीर आतिश' अथवा 'दारोग़-ए-तोपखाना' के अधीन होता था तथा उसकी सहायता के लिये 'मुशरिफ' नामक पदाधिकारी की व्यवस्था थी। मीर आतिश अपने विभाग की सभी आवश्यकताओं को बादशाह के समक्ष रखता तथा उनके सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त करता था। वह समय-समय पर तोपखाने का निरीक्षण करता था तथा रण-स्थल में तोपखाने की स्थिति को निश्चित करता था। तोपखाने के सैनिकों की नियुक्ति तथा उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में उसकी संस्तुति का महत्व था। तीसरे, घुड़सवार डिवीज़न था जो सेना का सर्वप्रधान अंग था। घुड़सवार सेना को संगठित करने के लिये बादशाह ने अनेक सुधार किया। घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः प्रचलित की गई तथा मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर इसे पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। चौथे, नौसेना थी किन्तु यह अधिक शक्तिशाली न थी। अकबर ने नौसेना के संगठन का कार्य 'मीर बहर' को प्रदान किया। वह नावों का निर्माण करवाता, नाविकों की नियुक्ति करता, नदियों का निरीक्षण करता तथा चुंगी की वसूली करवाता था। इसके अतिरिक्त अकबर ने अपनी सेना में हाथियों का भी प्रयोग किया। हाथियों को दस, बीस तथा तीस के समूहों में संगठित किया गया तथा इसे 'हल्का' का नाम दिया गया। मनसबदारों को घोड़ों के अतिरिक्त एक निश्चित संख्या में हाथी भी रखने पड़ते थे।

Scanned with CamScanner